

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक-3413 /14-1, बुलन्दशहर, दिनांक, 18, फरवरी, 2026।
सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex Post facto Approvel) के अन्तर्गत दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन0एच0-91) के किमी0 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या 165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/173/2023/एफ0सी0 दिनांक 13.11.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 1273/11सी दिनांक 16.11.2023।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में दर्शायी गयी कमियों को पूर्ण करने हेतु याचक विभाग को लिखा गया। याचक विभाग द्वारा दर्शायी गयी कमियों को पूर्ण कर उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

Sl. No.	Your Observation	Our Reply
1	2	3
1	State government will initiate disciplinary action against the concerned official for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India	रिटेल आउटलेट का निर्माण वर्ष 2013-14 में कराया गया था। वर्ष 2013-14 में कार्यरत क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा सैक्शन प्रभारी सेवानिवृत्त हो गये हैं।
2	If the permission for use of forest land for non forestry, purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 38 of FC Act as may be applicable.	संरक्षित वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिए उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं दी गयी है।
3	The State Govt. should also inform about the action taken under IFA, 1927	वर्ष 2022 में क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना द्वारा एच-टू केस संख्या 12/22-23 (स्याना रेंज) जारी किया गया है, तथा प्रतिकर के रूप में रु0 70,000/- ई-3 संख्या 33/2633 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा वसूल किया गया था।

4	Positional error has been found in the area proposed for diversion. The Geo-referenced map/ KML file needs to be rectified	प्रस्तावित डायवर्जन में भू-सन्दर्भित मानचित्र/के0एम0एल0 फाईल को ठीक करा दिया गया है।
5	CA land has been proposed on both sides of the Road (Linear). CA land needs to be proposed in the forest Block Accordingly, revised CA scheme and all related documents for plantation of 338 samplings over an area of 0.338 ha.@ 1000plants/ha shall be submitted and uploaded on PARIVESH portal	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वन ब्लाक की भूमि में करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार 0.338 है0 क्षेत्र में 338 पौधों के रोपण के लिए संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना और सभी सम्बन्धित दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।
6	NPV and Panel NPV calculation needs to be submitted online as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022	एन0पी0वी0 एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 गणना कर ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
7	FRA certificate need to be submitted online on portal.	एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की वचनबद्धता ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है। एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज-01) प्राप्त होने पर भेज दिया जायेगा।

भवदीय,



(डॉ0 हरेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

जबलपुर शहर।

संख्या: 3413 / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(डॉ0 हरेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

जबलपुर शहर।